न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 05 / 2022

1 रामेश्वर पुत्र नानगा उम्र   वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम लोहारवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 बक्सीराम पुत्र उदा
2 बनवारी पुत्र बोदू (फौत)
2/1 हरेन्द्र कुमार
2/2 महेन्द कुमार
2/3 गोगराज पुत्रगण बनवारीलाल
2/4 सन्तोष देवी पुत्री बनवारीलाल
2/5 चावली देवी पत्नी बनवारीलाल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लोहारवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 नवलकिशोर पुत्र नरसाराम
4 हरसाय मृत
4/1 निर्मला देवी पत्नी हरसाय
4/2 प्रेमदेवी पुत्री हरसाय
4/3 प्रहलाद पुत्र हरसाय
4/4 राकेश पुत्र हरसाय
5 भोला मृत
5/1 प्रभाती पत्नी भोला
5/2 भगवाना
5/3 चौथू
5/4 गिरधारी
5/5 शिवपाल
5/6 बनवारी पुत्रगण भोला
5/7 गीता

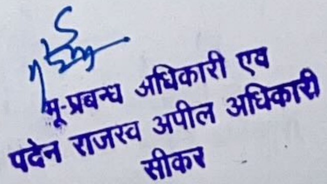

5/8 चावली
5/9 सुमन पुत्रियां भोला
6 नेकीराम
7 ओमप्रकाश
8 गणपतराम पुत्रगण धूड़ाराम
9 बहादुर सिंह
10 श्रवण
11 महिपाल सिंह पुत्रगण धूड़ाराम
12 फूली देवी पत्नी धूड़ाराम
13 रामकुवार पुत्र महादेव पौत्र भूरा पडपौत्र दीपा
14 नानछी पत्नी महादेव पुत्रवधु भूरा
15 डूंगाराम पुत्र नून्दा पौत्र दीपा
16 विजय सिंह पुत्र शंकर पौत्र नून्दा
17 प्रेम देवी पत्नी शंकर
18 प्रभातीलाल पुत्र दुला पौत्र दीपा
19 नेताराम पुत्र मुरलीधर पौत्र दुला
20 संतोष देवी पत्नी मुरलीधर
21 प्रहलाद
22 सुल्तान
23 जगदीश
24 दयालचन्द
25 नेकीराम पुत्रगण काना पौत्रगण दीपा
26 सोहनलाल
27 भोपाल पुत्रगण गोविन्दा पौत्रगण दीपा
28 मुक्तिलाल
29 सांवरमल पुत्रगण बोदू पौत्र दीपा
30 छीतर पुत्र भूरा
31 शंकरनलाल
32 सुरेश कुमार पुत्र फूलाराम पौत्रगण भूरा
33 दानाराम पुत्र रूघा पौत्र हनुता
34 सुरजाराम फौत
34/1 कमली देवी पत्नी सुरजाराम
34/2 मुकेश कुमार पुत्र सुरजाराम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीकर

34/3 रोशनलाल पुत्र सुरजाराम
34/4 सीमा पुत्री सुरजाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लोहारवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

35 रामेश्वर

36 झाबर

37 सरदारसिंह पुत्रगण गोविन्दा पौत्रगण हनुता
38 सुवाराम दत्तक पुत्र जमना
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लोहारवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

39 सुखाराम दत्तक पुत्र चन्द्राराम
40 हणमान
41 शंकरलाल पुत्रगण नानगा
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लोहारवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

42 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कांवट जरिये मैनेजर।
43 पटवारी हल्का लोहरवाड़ा।
44 उप पंजीयक खण्डेला।
45 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार आरएएस दावा संख्या 23/2018 उनवानी बक्सीराम आदि बनाम सुखाराम आदि दिनांकित 17.02.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सत्यमेव जयते सीकर

उपस्थिति :
1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 23/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2018 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम लोहरवाड़ा तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 60/1, 60/2 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम लोहरवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर की तन में भूमियां खसरा नम्बर 60/1 व 60/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर अवस्थित है। जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 39 से 41 की संयुक्त खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमियां है जिन पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 39 से 41 तथा उनके पूर्वजों का ही सदैव से कब्जा, काश्त रहा है। उपरोक्त भूमियों के किसी भी हक, हिस्से से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 38 तथा उनके पूर्वजों का कभी भी किसी भी रूप में कोई संबंध, सरोकार नहीं रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद प्रस्तुत होने पर दिनांक 02.12.2018 को अपीलाधीन वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया। जिसके सम्मन प्राप्त होने पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 39 से 41 ने श्री रामसिंह को अपना वकील नियुक्त किया तथा निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 22.02.2018 को वकालतनामा प्रस्तुत करवाया। वकालतनामा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

प्रस्तुत किये जाने पर तीन चार पेशियों पर अपीलांट लगातार तारीख पेशियों पर आता रहा तथा किसी भी तारीख पेशी पर अदालत में पीठासीन अधिकारी नहीं बिराजे। बिना किसी कार्यवाही के आगामी तारीख पेशी पड़ती रही। केवल मात्र बीच में एक दिन दिनांक 14.05.2019 को पीठासीन अधिकारी बिराजे तथा उसी दिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 39 से 41 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत आदेश पारित दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा मनमर्जी से ही दिनांक 02.11.2020 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 38 के वकील से मिलीभगत करके 05.01.2021 निर्धारित करवाली तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 39 से 41 की एकतरफा कार्यवाही के आधार पर विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में दिनांक 05.01.2019 को प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों को साक्ष्य वादी मान्य करते हुए बिना अपीलाधीन वाद को साबित किये बिना ही साबित किया हुआ मान्य करते हुए दिनांक 17.02.2021 को अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने की तिथि को अपीलधीन वाद के वादीगण संख्या 4 व 5 जीवित नहीं थे। बिना उनकी कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना अबैटशुदा दावे में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी होने की वजह से भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलाधीन वाद में वादीगण द्वारा विवादित भूमियों के निमित पूर्व में भी मुकदमा अपीलाधीन वाद में चाहे गये अनुतोष के निमित ही अपीलाधीन वाद के वादाधार पर ही सक्षम अदालत में प्रस्तुत किया गया था जो खारिज हो जाने के कारण अपीलाधीन वाद प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन वाद के वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को छुपाते हुए अपीलाधीन वाद प्रस्तुत करके अवैध रूप से डिक्री करवा लिया गया है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी गई है। विलम्ब कंडोन किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील के उपरांत जरिये वकील उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। एकपक्षीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिए अपीलान्ट द्वारा कोई चाराजोई नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही के 3 वर्ष पश्चात भू–प्रबंध के दौरान परिवर्तित रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश पारित किये है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित अवसर प्रदान किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट द्वारा कथित वादीगण की दौराने सुनवाई मृत्यु के संदर्भ में मृत्यु की तिथि अंकित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली में दिनांक 12.02.2021 को वादीगण की ओर से 3 शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये है। इसी दिन विचारण न्यायालय में वादीगण की ओर से दावे के अनुतोष में संशोधन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने इसी दिन यह आवेदन स्वीकार कर वादीगण की बहस अंतिम सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने आपत्ति की है कि दौराने सुनवाई दावा वादी संख्या 4 व 5 की मृत्यु हो गई थी। विचारण न्यायालय ने इनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के पक्ष में विचाराधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के कथन के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

अपील मेमों के साथ अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमियों के संदर्भ में पूर्व में प्रस्तुत वाद एवं निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इनके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि के आलोक में विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारान के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर